RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452 Raaso
Refreed Journal

रासो

अन्तर्विषयी त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-17, अंक-3, जून जुलाई अगस्त 2024

रासो
त्रैमासिक शोध पत्रिका
2005
॥ स्वस्ति पन्थामनु चरेम् ॥

RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452Raaso
Refreed Journal

रासो

इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन की त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-17 अंक - 3 जून-जुलाई-अगस्त-2024

सम्पादक
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

निदेशक
कॉम्पिटिशन प्लस संस्थान, ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, अजमेर (राजस्थान)

संरक्षक

* **प्रो. जे. पी. शर्मा** - पूर्व कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

सलाहकार मण्डल

* **प्रो. विभा उपाध्याय** - प्रोफेसर, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
* **नर्मदा प्रसाद उपाध्याय** - प्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृति चिंतक, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
* **प्रो. टी.के. माथुर** - पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
* **डॉ. रमेश अग्रवाल** - पूर्व स्थानीय सम्पादक, दैनिक भास्कर, अजमेर (राजस्थान)
* **डॉ. गौरव बिस्सा** - सहआचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन विभाग, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
* **डॉ. बीना शर्मा** - पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
* **प्रो. शोभा आर. मिश्रा** - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन
* **डॉ. वेद प्रकाश विद्यार्थी** - पूर्व सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

☆ उप सम्पादक

डॉ. रीता पारीक

प्राचार्य

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ प्रबन्ध सम्पादक

डॉ. मृत्युंजय शर्मा

सह-आचार्य

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ सहायक सम्पादक

डॉ. निष्काम शर्मा

☆ शब्द संयोजन

मुकेश कुमार माहेश्वरी

☆ सम्पादकीय/सचिव

व्यवस्थापकीय कार्यालय

सृजन संस्थान,

आचमन, वेद विहार,

लोहाखान, अजमेर-06

दूरभाष : 0145-2426610

e-mail : rasoajmjournal@gmail.com

☆ प्रकाशक :

पुष्पा शर्मा

सृजन संस्थान,

द्वारा आचमन पब्लिकेशन्स,

अजमेर

☆ मुद्रक :

मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स,

केसरगंज, अजमेर

☆ कम्प्यूटराइज्ड सेटिंग :

श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स

132, पंचवटी कॉलोनी,

अजमेर दूरभाष : 0145-2442701

सहयोग दर

* वार्षिक सदस्यता - 500 रु. (चार अंक) संस्थाओं हेतु - 600 रु. (चार अंक)

कृपया चैक/ड्राफ्ट/मनीऑर्डर श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रकाशक, आचमन पब्लिकेशन्स, अजमेर- 305006 के नाम भेजें।

प्रकाशक-श्रीमती पुष्पा शर्मा, 51/1509, वेद विहार, लोहाखान, अजमेर द्वारा मैसर्स सृजन संस्थान, अजमेर की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रक-श्रीमती उषा गर्ग द्वारा मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स, केसरगंज, अजमेर से मुद्रित।

स्थानीय प्रशासन और राजनीति के प्रमुख तत्त्व

पिंकी सांखला
सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

स्थानीय राजनीति में यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि यहाँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों की तुलना में स्थानीय समस्याएँ तथा स्थानीय हित अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। चाहे विधानसभा, लोकसभा, नगरपालिकाएँ हों या पंचायत-स्तर के चुनाव—सभी में मतदाता अपने आसपास की तात्कालिक परिस्थितियों और दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों को ही प्राथमिकता देते हैं। 1998 के चुनावों में आलू-प्याज के बढ़े दाम इसका प्रमुख उदाहरण रहे, जहाँ व्यापक विकास योजनाओं की अपेक्षा जनता ने तत्कालीन आर्थिक दबाव को अधिक महत्व दिया और सत्ता परिवर्तन कर दिया।

नगरपालिका क्षेत्र में नक्शा पास करवाने, सड़क-नाली निर्माण, पार्क, सफाई, चिकित्सा और स्कूलों के ठेकों जैसे मुद्दे स्थानीय राजनीति को संचालित करते हैं, जबकि पंचायत स्तर पर बारानी भूमि, तालाबी भूमि, सरकारी भूमि के विवाद, विद्यालय, कुएँ और सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा विकास योजनाओं से मिलने वाले अनुदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मामलों में व्यक्ति का निजी हित, जातीय और धार्मिक समूहों का दबाव तथा राजनीतिक दलों की पक्षधरता अक्सर प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करती है।

पत्रकारिता भी इस वातावरण से अछूती नहीं रहती। जब वह अपने परिवेश और संबंधों से प्रभावित होकर मुद्दों को निरपेक्ष दृष्टि से देखने के बजाय स्वार्थ की दृष्टि से उछालती है, तो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है और वह स्थानीय राजनीतिक दबावों का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन और राजनीति का ताना-बाना व्यक्तिगत हितों, सामुदायिक दबाव, विकास कार्यों और तात्कालिक समस्याओं के प्रभाव से निर्मित होता है, जो स्थानीय स्तर पर सत्ता के स्वरूप और उसके संचालन को निर्धारित करता है।

स्थानीय राजनीति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इसका मूल आधार मानव का स्वार्थ-प्रेरित स्वभाव है, जो व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक सामाजिक मूल्यों को स्वीकार करें, तभी स्थानीय राजनीति में संतुलन, नैतिकता और जनहित के आयाम विकसित हो सकते हैं। पत्रकारिता इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब पत्रकार निष्पक्ष होकर सामाजिक हितों को आधार बनाते हैं, तब वे राजनीति के बीच रहकर भी जनमानस को सही दिशा देते हैं। किंतु पक्षपातपूर्ण लेखन पत्रकारिता की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और वह भी स्थानीय राजनीतिक दबावों का हिस्सा बन जाती है।

शोध-पत्र में उल्लिखित सन्दर्भ एवं विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं।

नगर परिषद और पंचायत समितियों की राजनीतिक संरचना राष्ट्रीय या राज्य मुद्दों से अलग, संपूर्णतः स्थानीय हितों, विशिष्ट वर्गों और व्यक्तिगत लाभों पर आधारित होती है। स्थानीय राजनीति का चरित्र सामन्तवादी मानसिकता से उभरा अभिजनवाद लिए हुए है, जहाँ लोकतांत्रिक चेतना की अपेक्षा जाति, धर्म, व्यक्तिवाद और आर्थिक लाभ प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस राजनीति में एक ओर उच्छृंखलता, बिखराव और संघर्ष दिखाई देता है तो दूसरी ओर विभिन्न हित समूहों के बीच आवश्यकतानुसार गठबंधन भी बनते हैं। यही विविधता और बिखराव चुनावों में मतों को संगठित करने की एक रणनीति बन जाता है, जिसमें वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जातीय एवं धार्मिक भावनाओं का खुलकर उपयोग किया जाता है। इसलिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम, जाट बहुल क्षेत्र में जाट, दलित क्षेत्र में दलित या यादव क्षेत्रों में यादव उम्मीदवार मैदान में उतारना स्थानीय राजनीति की स्थायी रणनीति बन चुकी है, जिसे आज भारतीय राजनीति का सामान्य स्वरूप ही मान लिया गया है।

स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति में जातीय आधार पर उन्माद फैलाना आज दलों की एक आम रणनीति बन गई है, जहाँ वे विद्रोह, अशांति और तथाकथित 'जन क्रांति' जैसे नारों का प्रयोग केवल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। यह वास्तविक जनआंदोलन का स्वरूप नहीं होता, बल्कि जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक मजबूत करने का एक साधन भर होता है। जबकि संविधान की दृष्टि से राज्य का कर्तव्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्त करना मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रपति पर भी यह विशेष दायित्व रखा गया है कि वे इन वर्गों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाएँ, परंतु राजनीति जातिगत मुद्दों को सुधार की दिशा में ले जाने के बजाय अक्सर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने का कार्य अधिक करती है।

इसी बीच संचार शक्ति आधुनिक लोकतंत्र में अत्यंत प्रभावी साधन बनकर उभरी है। यह केवल जानकारी का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधन, मनोरंजन, ज्ञान, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और राष्ट्रीय विकास का मजबूत आधार भी बन चुका है। संचार क्रांति ने समाज और राजनीति की कार्यशैली को पूरी तरह बदल दिया है—चाहे वह शिक्षा हो, कार्य स्थलों की संरचना हो, मीडिया का प्रभाव हो, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का प्रसार हो या आम जनता के विचारों का गठन। आज का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण सूचना और संचार के तेज प्रवाह पर निर्भर है, जहाँ सूचना का नियंत्रण ही शक्ति और दिशा दोनों निर्धारित करता है।

विकास प्रक्रिया में प्रचार और संचार माध्यमों का उपयोग अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से उपेक्षित जनसाधारण को जागरूक कर राष्ट्रीय कार्यों में सहभागी बनाया जाता है। नई संचार तकनीकों के आगमन ने राजनीति और समाज में गहरा परिवर्तन लाते हुए 'संचार युग' की शुरुआत की, जिससे राजनीतिक दलों के कार्य करने के तरीके भी बदले।

दूरदर्शन का विस्तार इस परिवर्तन का प्रमुख आधार बना 1959 की सीमित शुरुआत से लेकर 1982 के रंगीन प्रसारण और उपग्रह नेटवर्क तक, इसने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को देश के हर क्षेत्र तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जनसंचार पत्रकारिता की मुख्य शक्ति है, जो समाज का दर्पण बनकर सूचना के साथ-साथ ज्ञान, दृष्टिकोण और जागरूकता का संवाहक भी है, और आधुनिक वैज्ञानिक

युग में इसे नई ऊँचाइयाँ मिल रही हैं।

पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन में एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाती है। इसके लिए समाज की सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि का होना आवश्यक है, ताकि अंधविश्वास, हानिकारक परंपराएँ और सामाजिक अव्यवस्थाएँ समाप्त की जा सकें। स्वतंत्रता से पूर्व भी प्रेस ने सामाजिक सुधार और जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्रकारिता का प्रमुख दायित्व नागरिकों को सचेत करना है, ताकि वे जीवन को सार्थक बनाते हुए समाज को उचित दिशा प्रदान कर सकें।

सत्य और तथ्य की संगति, सूचना का प्रसारण और समाज के बहुसंख्यक लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता सामाजिक चेतना का वाहक बनती है। समाचार केवल कागज या स्याही नहीं, बल्कि समाज के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति है। मानव जिज्ञासा और समाज की सक्रिय भागीदारी समाचार और पत्रकारिता को निरंतर ऊर्जा देती है, जिससे सामाजिक सुधार, जागरूकता और परिवर्तन की प्रक्रिया मजबूत होती है। आज भी भारत में पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन के दायित्व से विमुख नहीं हुई है; यह नव चेतना, सक्रियता और गतिशीलता का माध्यम बनकर समाज को नए स्फूर्ति और जागरण की ओर प्रेरित करती है।

राजनीतिक दर्शन राज्य और मानव के मध्य संबंध को समझने और व्यवस्थित करने का आधार प्रस्तुत करता है। यह शास्त्रीय चिंतन बहुआयामी दृष्टिकोणों के माध्यम से राजनीति के विभिन्न स्तर—अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय और स्थानीय—में लागू होता है। 20वीं सदी के मध्य भारत में राजनीतिक क्रांतियों के परिणामस्वरूप विकास की प्रक्रिया जटिल और गतिशील हुई, जिसमें लोकाचार, सोच और दृष्टिकोण बदलने के प्रयास स्थानीय राजनीति के प्रमुख आयाम—आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, लोकतंत्रीकरण और जन सहभागिता—के माध्यम से स्पष्ट हुए।

स्थानीय राजनीति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से अलग स्थान रखती है, फिर भी उनसे पूरी तरह अलग नहीं होती। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और बहुभाषी, विकासशील समाजों में राजनीतिक चिन्तन प्रजातंत्र के रक्षक के रूप में कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दल संगठनात्मक और वैचारिक संरचना का निर्माण कर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। दबाव समूहों और हितों के प्रभाव से उत्पन्न राजनीतिक जागरण समाज की प्रतिक्रियाओं के रूप में सामने आते हैं।

राजनीतिक उपागमों में यह देखा गया है कि राजनीतिक सौहार्द्र और सिद्धांत मानव स्वभाव तथा सामाजिक आचरण को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक लक्ष्यों में मानव की अंत:प्रेरणा और दृष्टिकोण का महत्व रहता है। जर्मन दार्शनिक कान्ट के अनुसार, मनुष्य असामाजिक होते हुए भी सामाजिक सोच रखता है, जिससे सार्वभौम न्याय की संभावना उत्पन्न होती है। राजनीतिक आदर्शवाद लगातार अपने चिन्तन को विकसित करता है और इस दृष्टि से इसे विद्वानों ने राजनीतिक यथार्थवाद के रूप में वर्णित किया है।

स्थानीय राजनीति में सामाजिक दायित्व और नैतिक मूल्य प्रमुख आधार होते हैं, क्योंकि राजनीति के कारक मानव संबंधों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं से जन्म लेते हैं। ये कारक व्यक्तिगत, सामूहिक और क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक तत्वों के साथ-साथ जातिवाद के प्रभाव से भी राजनीति को दिशा देते हैं। स्थानीय प्रशासन ही स्थानीय राजनीति का मूल स्रोत है, जो दो रूपों में कार्य करता है—पहला, निर्णयों और नीतियों के विचारण का; और

दूसरा, उनके क्रियान्वयन का।

भारत में स्थानीय शासन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वायत्तशासी स्वरूप में व्यवस्थित है, जिसमें नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, नगर क्षेत्र समितियाँ, छावनी बोर्ड और टाउनशिप शहरी क्षेत्र के, तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख अंग हैं। स्थानीय राजनीति मुख्यत: स्थानीय समस्याओं—व्यक्तिगत, सामूहिक और क्षेत्रीय—पर आधारित होती है, जिनका गहन अध्ययन आवश्यक है। स्वातंन्त्र्योत्तर काल में जातिवाद का राजनीतिकरण तेज़ हुआ है; सामाजिक और धार्मिक प्रभाव घटने के बावजूद जातीय प्रभुत्व प्रशासन और राजनीति पर बढ़ा है। संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक-आर्थिक कारक भी इसे सशक्त करते हैं। इस प्रकार जाति और राजनीति का संबंध स्थानीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, जिसमें इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू दिखाई देते हैं।

भारत में स्थानीय राजनीति में जाति व्यवस्था का प्रभाव अत्यंत गहरा और निर्णायक है। पीटनी लेम्ब के अनुसार, यद्यपि नेहरू और अन्य नेताओं ने जातीय भेदभाव को कम महत्व देने का प्रयास किया, और वर्तमान नेताओं की पीढ़ी भी जातिवाद की भर्त्सना करती है, फिर भी राजनीति में जातियों की भूमिका बढ़ती ही रही है। राजनीतिक दल अपने चुनावों में सबसे सशक्त स्थानीय जातियों को समर्थन देने का प्रयास करते हैं, जिससे जातिवादी आधार पर उम्मीदवार चयन होता है। छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी इसी जातिवादी प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करते हैं, हालांकि उन्हें अपेक्षित लाभ कम ही मिलता है।

स्वतंत्रता के बाद जातिवादी राजनीति अधिक प्रखर हुई और वर्तमान में भले ही राजनीतिक दल अपने घोषणा-पत्र में जातिवाद को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी जाति आधारित नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों का पालन करते हैं। सरकारी योजनाएँ, प्रावधान और प्रशासनिक निर्णय भी जातिगत दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं, जिससे स्थानीय तंत्र में जाति का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने समाज में वर्षों से व्याप्त सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए पिछड़े और शोषित वर्गों के विकास हेतु विशेष प्रावधान किए। महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हरिजन आंदोलन चलाया और डॉ. अम्बेडकर ने दलित एवं अनुसूचित जातियों की पहचान कर उनके अधिकार सुनिश्चित किए। इस प्रकार, जाति और राजनीति का गहरा संबंध भारत में स्थानीय राजनीतिक संरचना और प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित करता है।

स्थानीय राजनीति में जाति और धर्म दो प्रमुख कारक हैं। अनिल भट्ट के अध्ययन के अनुसार, 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जाति व्यवस्था के कारण लगभग 90 प्रतिशत स्थानीय राजनीति प्रभावित होती थी। ग्रामीण भारत में जाति की संस्कृति अत्यंत प्रबल है, जिससे राजनीतिक अपेक्षाएँ और दलगत संगठन प्रभावित होते हैं। जाति के आधार पर अभिजन वर्ग का उदय हुआ, जिसने व्यक्तित्व, सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक समर्थन के माध्यम से स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान के नागौर जिले में जाट समुदाय के संगठन और मेलजोल ने दिखाया कि जाति आधारित राजनीतिक सहयोग विशेष राजनीतिक लाभ और स्थानीय प्रशासनिक सुविधाओं जैसे नौकरियों, ऋण और पदोन्नति पर निर्भर करता है। इस प्रकार जाति व्यवस्था स्थानीय राजनीति के निर्णयों और कारकों को गहराई से प्रभावित करती है और दबाव समूह के रूप में उभरती है।

दूसरा महत्वपूर्ण कारक धर्म है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसे 1976–77 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किया गया। अनुच्छेद 25 के अनुसार राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा और सभी व्यक्तियों और समूहों को धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अधिकार प्रदान करेगा। धर्मनिरपेक्षता स्थानीय प्रशासन और नीति निर्माण में प्रभावी लक्ष्य के रूप में कार्य करती है, जो समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने में मार्गदर्शक है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी देशों से भिन्न है। भारतीय राज्य और धर्म के बीच पूर्ण पृथक्करण नहीं है; राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार रखता है, जिससे धर्मनिरपेक्षता एक सीमित और अस्पष्ट विचारधारा के रूप में प्रस्तुत होती है। डॉ. राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भारत में धर्म केवल बाह्य सामाजिक अव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है। हिन्दू धर्म की शाश्वतता और पारलौकिक दृष्टि इस विचार का आधार हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, बशर्ते वह दूसरों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित न करे।

धर्मनिरपेक्षता को नास्तिकता या धार्मिक अस्वीकृति के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुरूप समझा जाना चाहिए। संविधान और कानूनी प्रावधान सभी धर्मों को समान अधिकार और संरक्षण प्रदान करते हैं, न कि किसी विशेष धर्म को समर्थन या विरोध करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों जैसे के.एम. मुंशी और अन्य विद्वानों ने साम्प्रदायिकता को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के उचित कार्यान्वयन के लिए धर्मनिरपेक्षता को आवश्यक माना। इस दृष्टि से भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म की प्रासंगिकता, मान्यता और सभी धर्मों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करती है, जिससे समाज में सहअस्तित्व, प्रेम और भाईचारे का आधार मजबूत होता है।

भारतीय संविधान और राजनीतिक चिन्तकों के अनुसार भारत में धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित है, परंतु धर्म के आधार पर राजनीति करना स्वीकार्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत राज्य और नागरिक के बीच धर्म को व्यक्तिगत मामला मानता है, लेकिन वास्तविकता में धर्म व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहार में गहरी पैठ रखता है। भारतीय राजनीति में धर्म स्थानीय राजनीति का प्रमुख कारक बन गया है, जिससे समाज में विभाजन और क्षेत्रीय व जातिगत हितों के अनुरूप राजनीति की प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं।

भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल का धर्म आधारित कार्य केवल एक वर्ग के हित में नहीं होना चाहिए; धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक कर्तव्य को अलग रखना आवश्यक है। पश्चिम में भी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं हो पाया, क्योंकि धार्मिक विश्वास व्यक्ति के जीवन और निर्णयों में गहन प्रभाव डालता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श व्यवहार में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अपने विश्वास और भावनाओं के प्रभाव से राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों में धर्म से पूरी तरह अलग नहीं रह पाता।

विद्वानों के अनुसार धर्म समाज और संस्कृति को एकत्रित रखने वाली शक्ति है, जो परंपरा, नैतिकता और विवेक का संरक्षक रही है। आधुनिक राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता ने इसे प्रभावित किया है, पर धर्म आज भी समाज की जीवन्त शक्ति बना हुआ है। धर्मनिरपेक्षता जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ

प्रभावी होती हैं।

अजमेर जिले के संदर्भ में धर्म स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले में मुस्लिम बहुल क्षेत्र (ख्वाजा गरीब नवाज और मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह), हिन्दू बहुल पुष्कर, जैन, पारसी, बौद्ध और अन्य धार्मिक समुदायों की उपस्थिति इसे धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। अजमेर की राजनीतिक संरचना में धर्म और जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होता है। उदाहरण स्वरूप, 1998 के विधानसभा चुनावों में अजमेर पश्चिम में सिंधी बहुल क्षेत्र से सिंधी जाति के प्रत्याशी और अजमेर पूर्व में अनुसूचित जाति के प्रत्याशी ही चुनाव लड़े। इस प्रकार, धर्म और जाति स्थानीय राजनीति में निर्णायक कारक बनकर उभरते हैं, जहां राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन जातिगत और धार्मिक आधार पर करते हैं ताकि संबंधित समुदाय के मत हासिल किए जा सकें।

1998 के पुष्कर विधानसभा चुनावों ने स्थानीय राजनीति की जटिलताओं को स्पष्ट किया। इस क्षेत्र में हिन्दू बहुलता होने के बावजूद मुस्लिम प्रत्याशी श्री रमजान खां की जीत यह दर्शाती है कि मतदाता स्थानीय मुद्दों, विकास और उम्मीदवार की व्यक्तिगत कार्यप्रणाली को धर्म या जाति से ऊपर रखकर निर्णय ले सकते हैं। वहीं अजमेर पूर्व में सिंधी बाहुल्य क्षेत्र में स्वजातीय प्रत्याशियों को ही समर्थन मिलना यह भी बताता है कि जाति और धर्म आज भी स्थानीय राजनीति में निर्णायक कारक हैं।

स्थानीय राजनीति के अन्य महत्वपूर्ण कारक जैसे भुजबल और धनबल भी उम्मीदवारों और दलों की सफलता में प्रभाव डालते हैं। भारत में पिछले 50 वर्षों में राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने हेतु अनेक समितियाँ गठित की गईं, जैसे तारकुण्डे समिति और अन्य सुधार प्रयास, लेकिन भ्रष्टाचार और धनबल के प्रभाव को समाप्त करने में पर्याप्त सफलता नहीं मिली। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि स्थानीय राजनीति में धर्म, जाति, स्थानीय मुद्दे, भुजबल और धनबल सभी मिलकर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और इनके संतुलित समन्वय के बिना निष्पक्ष एवं प्रभावी लोकतंत्र की कल्पना अधूरी रहती है।

स्थानीय राजनीति में धनबल और भुजबल ने लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रभावित किया है। राजनीतिक दल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए गठजोड़ करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार आमजन में सामान्य और संवेदनहीन बन गया है। इस प्रभाव ने पत्रकारिता को भी प्रभावित किया; उद्योगपतियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त समाचार-पत्र राजनीतिक दलों के अनुरूप समाचार प्रकाशित करते हैं, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता कमजोर हुई। इसके अतिरिक्त भाई-भतीजावाद और पारिवारिक राजनीति स्थानीय निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रभाव डालते हैं। परिवार के हित साधनों के लिए राजनीतिक निर्णय प्रभावित होते हैं और पत्रकारिता भी इस चक्र का हिस्सा बनती है। परिणामस्वरूप स्थानीय राजनीति में आदर्श, मूल्य और निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और स्वार्थ, धन और पारिवारिक प्रभाव प्रमुख कारक बन गए हैं।

स्थानीय राजनीति में परिवारवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कांग्रेस के शासनकाल में परिवार के सदस्य—पति, पत्नी, पुत्र या माता-पिता—साझा रूप से राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखते थे, जिससे निर्णय पारिवारिक स्वार्थों के अनुरूप प्रभावित होते थे। इस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जैसा कि नेहरू परिवार और बिहार में लालू यादव के उदाहरणों से स्पष्ट है।

स्थानीय राजनीति के प्रमुख कारक अब धर्म, जाति, धनबल, भुजबल, परिवारवाद, स्वार्थपूर्ण पत्रकारिता

और अल्पसंख्यकवाद बन गए हैं। भारत बहुधर्मी राष्ट्र होने के बावजूद अल्पसंख्यकों के हितों को विशेष संरक्षण देने से कभी-कभी बहुसंख्यकों के मूलभूत अधिकार प्रभावित हुए हैं। संविधान (अनुच्छेद 25-30, भाग-16) सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन राजनीतिक दल इन अधिकारों का उपयोग स्वार्थपूर्ति और वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं।

स्थानीय राजनीति में पत्रकारिता का प्रभाव गहन और जटिल है। अक्सर मीडिया निष्पक्ष होकर सूचना और विश्लेषण देने के बजाय राजनीतिक दलों, आर्थिक पक्षपात और साम्प्रदायिक दबावों के प्रभाव में आ जाती है। अजमेर जिले का उदाहरण बताता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल मीडिया का उपयोग करते हैं और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता की सोच पर असर डालते हैं।

पत्रकारिता केवल समाचार देने तक सीमित नहीं रहती; यह चुनावी परिणामों और राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित करती है। जब मीडिया किसी धर्म, जाति या समुदाय के पक्ष में झुक जाती है, तो स्थानीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है और जनता अपने मत निर्णय में सामुदायिक पहचान को प्रधान मानने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि लोकतांत्रिक आदर्श, समानता और निष्पक्षता की भावना प्रभावित होती है।

इस प्रकार, पत्रकारिता न केवल स्थानीय राजनीतिक प्रवृत्तियों और दलगत रणनीतियों को आकार देती है, बल्कि जनता के चुनावी व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। यह स्थानीय राजनीति के अन्य कारकों—धर्म, जाति, धनबल और भुजबल—के साथ मिलकर राजनीतिक प्रक्रिया की दिशा और परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है।

निष्कर्षतः स्थानीय राजनीति में जाति, धर्म, धनबल, भुजबल, परिवारवाद, पत्रकारिता और अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक समीकरण जैसे कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता के बाद जाति आधारित राजनीति और धर्म ने स्थानीय चुनावों को प्रभावित किया। धनबल और भुजबल भ्रष्टाचार और गठजोड़ को जन्म देते हैं, पत्रकारिता अक्सर पक्षपातपूर्ण होती है। परिवारवाद और भाई-भतीजावाद निर्णयों को प्रभावित करते हैं। स्थानीय राजनीति में इन सभी कारकों के प्रभाव से चुनावी परिणाम, प्रशासनिक निर्णय और लोकतांत्रिक आदर्श प्रभावित होते हैं, जिससे यह क्षेत्र बहुआयामी और जटिल दृष्टि प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *बी.पी. आप्टे, आरक्षण नीति हमारा संविधान मंथन वर्ष 4, अंक 2 फरवरी, 82*
2. *योजना, सितम्बर 1998*
3. *ईस्टन डी., दा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यूयार्क, न्यूयार्क 1953*
4. *वी.वी. घइसवी, सम्पादक, कंटम्पेररी पॉलिटिकल थॉट हाल्ट रीने हाई एण्ड विंसटन, न्यूयार्क, 1969*

5. विलियम्स, एच. कांट्स, पॉलिटिकल फिलोसफी, बेसिल, ब्लैक बेल, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1933
6. एच. हेरज जॉन, पॉलिटिकल रिलिजन एण्ड पॉलिटिकल आइडलिकल एण्ड स्टडी इन थ्योरीज इन रीयेलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, प्रेस ऑफ शिकागो, 1957
7. राजनीति के विविध आयाम, संकलित डॉ. एस.एन. सिंह का लेख, भारत की आरक्षण नीति की समीक्षा से उद्धृत
8. राम आहुजा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1993
9. कास्ट, क्लास एण्ड पोलिटिक्स, अनिल भट्ट, मनोहर बुक सर्विस, नई दिल्ली, 1975 और कास्ट इन इण्डियन पोलिटिक्स, रजनी कोठारी ओरियन्ट, लॉंगमैन, नई दिल्ली, 1970
10. पी.सी. चटर्जी, सेटरली आइडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दिसम्बर 1992
11. भारतीय संस्कृति, कुछ विचारक, राधाकृष्णन राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1996
12. ए.बी. शाह, रिलीजन सोसायटी इन इंडिया, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, सोमालिया 1981
13. कुशीर उलहक, धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम, नई दिल्ली, राधाकृष्णन प्रकाशन, 1977
14. डॉ. राधाकृष्णन, रिलीजन एण्ड सोसायटी, जार्ज एलन एण्ड अनविन लि. लंदन 1947
15. हरिजन, जून 6, 1946
16. रिकवरी ऑफ फेथ, डॉ. राधाकृष्णन, हारफर एण्ड ब्रदर, न्यूयार्क, 1955
17. सी.ए.डी., वॉल्यूम-8, 1949, तथा के.एम. मुंशी, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, भारतीय विद्या भवन बम्बई 1967
18. पी.वी. गजेन्द्र गढकर, दा कांस्टीट्यूशन इन इंडिया इट्स फिलोसोफी एण्ड बेसिक फास्ट मूलेट्स, नई दिल्ली, नेशनल 1969
19. विलियम ए लॉस, सम्पादन, रिलीजियस फेथ एण्ड वर्ल्ड कल्चर, न्यूयार्क प्रेंटिस हॉल न्यूयार्क 1954
20. एरिक एस. वाटर हाउस, सेक्यूलरीज्म, एनसाइक्लोपीडिया इन रिलीजन एण्ड इथिक्स, खण्ड-2, 1955
21. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भूमिका, श्री एस.आबिद हुसैन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली
22. आज की राजनीति और भ्रष्टाचार, नरेन्द्र मोहन, दैनिक जागरण, समूह, कानपुर 1990